

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक प.3(7)आरपीजी/2019

जयपुर, दिनांक 25/3/20

आदेश

सहायक निदेशक, पब्लिक सर्विसेज, अजमेर, अलवर, नागौर, टोंक के उपयोग हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प.2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 एवं दिनांक 28.02.2019 में अंकित शर्तों/दिशा-निर्देशों/RTPP Act/Rules/निर्धारित प्रक्रिया की पूर्णपालना सुनिश्चित करते हुए 04 जिला स्तरीय किराये का वाहन 28500/- रु प्रतिमाह 2000 कि.मी. की श्रेणी में दिनांक 28.02.2021 तक अथवा ही पद भरे रहने, जो भी पहले हो तक हायर करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सहायक निदेशक, पब्लिक सर्विसेज, अजमेर, अलवर, नागौर, टोंक के सहायक निदेशक के पदों पर पूर्णकालिक अधिकारी के पदस्थापन की अवधि में ही वाहन किराये पर लिये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति आई.डी.क्रमांक 102004131 दिनांक 22.09.2020 के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से

Handwritten signature

(विजय वरन्दानी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
3. जिला कलेक्टर, अजमेर, अलवर, नागौर, टोंक।
4. निदेशक, लोक सेवाएँ, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ, अजमेर, अलवर, नागौर, टोंक।
6. रक्षित पत्रावली।

Handwritten signature
25/3/20

Handwritten signature
उप शासन सचिव
o/c